राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	दामोदर बनाम रामगोपाल 522/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08/04/2022 पारित करते हुये तहसीलदार बस्सी को वादग्रस्त अरजी खसरा नम्बर 100 रकबा 0.3541 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 115 रकबा 3.04७४ हैक्टेयर स्थित ग्राम बाला की नांगल भू.अ.नि. फाल्यावास तहसील बस्सी का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स की आधार पर विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08/04/2022 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री के माध्यम से बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश तहसीलदार को प्रदान किये गये है | विधि के प्रावधानों के अनुसार भी विभाजन एक अनिवार्य प्रक्रियां है, जिसमे सयुक्त खाते की आराजी का समस्त सहखारेदार के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी(बाई मीट्स एण्डबाउन्ड्स) के अनुसार विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये विभाजन किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त जाहिर होते है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08/04/2022 में कोई त्रुटी जाहिर नही होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी • जयपुर